न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 250–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–7–2012 पारित द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख रतलाम के प्रकरण कमांकं 177/अ–12/2011–12.

बाबुखां पिता वली मोहम्मद
निवासी ग्राम मलवासा तहसील व जिला
रतलाम म0प्र0

------ आवेदक

विरूद्ध

सरदार पिता वली मोहम्मद
निवासी ग्राम मलवासा तहसील व जिला
रतलाम म0प्र0

------ अनावेदक

.....

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक आवेदक
श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक भू–अभिलेख रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक सरदार ने अधीक्षक भू–अभिलेख रतलाम के समक्ष कृषि भूमि सर्वे कमांक 377/1 रकबा 1.380 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर प्रकरण कमांक 177/अ–12/2011–12 में आदेश दिनांक 08–7–12 के द्वारा सीमांकन स्वीकृत किया गया। अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा किये गये उक्त सीमांकन के विरूद्ध यह निगरानी कलेक्टर रतलाम को प्रस्तुत की गई।

कलेक्टर रतलाम ने प्रकरण कमांक 13/निगरानी/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28–12–12 के द्वारा कलेक्टर को पुनरीक्षण की अधिकारिता नहीं होने से निगरानी अमान्य की। अतः अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश दिनांक 08–7–12 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में कहा कि आवेदक एवं अनावेदक सगे भाई हैं। आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 377/2 है तथा अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 377/1 है। दोनों ने एक ही व्यक्ति से भूमि कय की है। पूर्व में अनावेदक द्वारा स्वयं की भूमि का दिनांक 27–5–12 को सीमांकन कराया था जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया था। तत्पश्चात आवेदक द्वारा भू–अभिलेख में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर प्रकरण कमांक 144/अ–12/11–12 में पारत आदेश दिनांक 29–5–12 में आदेश दिनांक 27–6–12 को सीमांकन किया गया। यह भी तर्क दिया कि अब पुनः अनावेदक ने अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिसपर आदेश दिनांक 8–7–12 को सीमांकन किया तथा पंचनामे में लिख दिया कि कब्जे के संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई किन्तु अनावेदक को मौके पर ही पक्के पिलर गडवा दिये तथा 1 बीघा भूमि पर अनावेदक का अवैधानिक कब्जा करवा दिया। तर्क में यह भी कहा कि आदेश दिनांक 8–7–12 के सीमांकन से असंतुष्ट होकर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कर आवेदक को न्याया दिलाने हेतु आवेदन कलेक्टर रतलाम को प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर ने आदेश दिनांक 28–12–12 को पुनरीक्षण सुनवाई की अधिकारिता नहीं मानते हुये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के आदेश दिये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदक द्वारा निगरानी में जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसकी सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। इसी आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया

कि आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया था यदि आवेदक असंतुष्ट था तो उसे विधिवत आपत्ति करना चाहिए थी। अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 08–7–12 को किया गया सीमांकन उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक एवं अनावेदक द्वारा एक साथ ही व्यक्ति से पृथक–पृथक भूमि कय की गई हैं जो एक ही सर्वे कमांक 377 से हैं जिनका बटांक 377/1 अनावेदक एवं 377/2 आवेदक की है। अनावेदक द्वारा भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया है। पूर्व में इन्हीं भूमियों के संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 27–5–12 को सीमांकन किया गया तत्पश्चात अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण कमांक 144/अ–12/11–12 में पारत आदेश दिनांक 29–5–12 द्वारा सीमांकन किया गया। अब पुनः अनावेदक के आवेदन पर आदेश दिनांक 8–7–2012 को सीमांकन किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा कराये गये सीमांकन में विरोधाभाषी आदेश पारित हुये और सीमांकन में एक–दूसरे की भूमि पर कब्जा बताया है। अतः ऐसे सीमांकन विधिसम्मत एवं उचित नहीं कहे जा सकते है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीक्षक भू–अभिलेख रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–7–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष एवं सरहदी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सर्वे कमांक 377/1 एवं 377/2 का पूर्ण नियम एवं प्रकिया का पालन करते हुए एक साथ सीमांकन करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर